

कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या :- 8/कृ0नि0यो0वि0-33/17

429

/कृ0, पटना, दिनांक

2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, मा0प्र0से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय :-

कृषि विभाग के सभी योजनाओं अन्तर्गत अनुदान की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के तहत जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सीधे कृषकों के बैंक खाता में अंतरित करने के सम्बंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि राज्य में भ्रमण के दौरान विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि विभागीय योजना में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि की निकासी कर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से लाभुक कृषकों के खाता में भेजा जाता है। जिससे कृषकों को समय पर अनुदान की राशि नहीं मिल पाती है।

इस सम्बंध में निदेश दिया जाता है कि कृषि विभाग के सभी योजनाओं अन्तर्गत अनुदान की राशि की निकासी कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के तहत जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सीधे कृषकों के बैंक खाते में अंतरित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


22.11.18


(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 429

दिनांक :- 24 / 11 / 18

प्रतिलिपि :- निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी, कृषि विभाग/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




22.11.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।